वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 26/2020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05.11.2020 को थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु/0469 0सं0अ02020 धारा)3761)(2((D)/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित तीन आरोपी पुलिस अभिरक्षा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे, अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक रोहनियां के नेतृत्व में आज दिनांक 05.11.को थाना रोहनिया पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के 2020 0469 0सं0अ0दौरान मुखबिर की सूचना पर मु/376 धारा 2020(1)(2))D(, 3 भादवि व 506/ 4 पाक्सो एक्टसे सम्बन्धित अभियुक्त भोनू राजभर व दो बाल अपचारी को उनके घर से पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

01.भोनू राजभर पुत्र गोपाल राजभर निवासी भीमचण्डी थाना रोहनिया,वाराणसी।

02. दो बाल अपचारी।

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी थाना रोहनियाँ वाराणसी।
2. जमीलुद्दीन खान थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी। 0नि0उ0व
3. राजेश कुमार दूबे थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी। 0नि0उ
4. अजय यादव थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी। 0नि0उ
5. नरेन्द्र यादव थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी। 0का0हे
6. काविशाल प्रसाद थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी 0।
7. सुशील गोड़ थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी 0का।
8. शीतला प्रसाद थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी 0का।
9. अमित सरोज थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी 0का।
10. काअखिलानन्द पटेल थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी 0।
11. कारामपाल सिं 0ह थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 27/2020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

अन्तर्राज्यीय गैंग आईएस 233(गैंग लीडर मुन्ना बजरंगी) के सूचीबद्ध सदस्य , तथा एक अन्य अन्तर्राज्यीय गैंग (आईएस -191) के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी अपराधी मेराज अहमद @ भाई मेराज पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम महेन थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर हाल पता अशोक विहार थाना जैतपुरा वाराणसी का थाना जैतपुरा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 435 अशोक विहार फेज वन में जो चार आवास विकास प्राधिकरण वाराणसी के तहत अपनी बहन शकीला बानो, बहनोई इरशाद खा, मां खातून निशा और भाई सिराज अहमद के नाम से 1BHK लिया गया था, जिसमें अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया गया था को ,तोड़कर एक कर दिया गया था। आज दिनांक 05.11.को 2020 वीडीए व पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रुप से किये गये अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

पूर्व में भी मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज द्वारा तथ्यों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई शस्त्र लाइसेंस बनवा लिए गए थेजिसके सम्बन्ध में थाना जैतपुरा व थान ,ा कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में वाराणसी पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा भाई मेराज से संबंधित 08 शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर सभी शस्त्रों को ज़ब्त करा लिए गए हैं। मेराज को शरण देने व सहयोग करने के सम्बन्ध में मेराज के भाई सिराज व भांजे परवेज अहमद जो थाना कैण्ट का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। ,

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

अन्तर्राज्यीय गैंग (गैंग लीडर मुन्ना बजरंगीके सूचीबद्ध सदस्य (व एक अन्य अन्तर्राज्यीय गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी अपराधी मेराज अहमद @ भाई मेराज वीडीए व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 2/82020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

प्रधान डाकघर नदेसर में करोड़ो रुपये की हेरा–फेरी में वांछित फरार अभियुक्त विनय कुमार यादव थाना कैण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 04-11-को 2020 प्रभारी निरीक्षक कैण्ट राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्तिवाहन के दौरान/ मु1144 0सं0अ0/1145 0स0अ0व मु 19/ धारा 19 420/406/409/467/468/471/120B भादवि सम्बन्धित मुकदमा प्रधान डाकघर नदेसर थाना कैंट में करोडो रुपये की हेरा फेरी में वांछित अभियुक्त विनय कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम कल्लीपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी को मुखबिर की सहायता से उसके घर ग्राम कल्लीपुर में दबिश देकर समय करीब 18. बजे 00गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त विनय कुमार यादव द्वारा बताया कि मैं प्रधान डाकघर नदेसर थाना कैंट पर डाक सहायक के पद पर नियुक्त था। नियुक्ति के दौरान अन्य कर्मचारियों व अधिकारीगण के मिली भगत से व एजेंटो से मिलकर आम जनमानस पब्लिक के प्रधान डाकघर में जमा रुपयों क/ी हेरा– फेरी व फर्जी मोहर व फर्जी हस्ताक्षर व कूट रचित कर करोड़ो रुपयों का गबन कर लिया था। हम लोगों के खिलाफ थाना कैंट में कई मुकदमें पंजीकृत हो चुके थे। मेरे कुछ साथी जेल जा चुके है। तब से मैं फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विनय कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम कल्लीपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 1144/19 धारा 420/406/409/467/468/471/120B भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0स0 1145/19 धारा-420/406/409/467/468/471/120B भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक कैण्ट- राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अजय कुमार शुक्ल, का0 1303 सुनील कुमार पाण्डेय, का0 4942 मनीष बघेल, का0 राकेश कुमार राम व का0 रामानंद यादव क्राइम टीम थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक

सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 29/2020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

दिनांक 4-11-2020 को थाना जैतपुरा के उ0नि0 दयाशंकर यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र वाहन में/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति ,अशोक विहार तिराहे पर मौजूद थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0सं0अ0-208/-धारा 2020326/504/506/436 भादवि में वांछित अभियुक्त पिंटू गुप्ता पुत्र शीतला प्रसाद निवासी सा 29/119 शिवपुर राघव राम वर्मा इंटर कालेज के सामने पुराना डाकखाना थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, कचहरी के पास मौजूद है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 दयाशंकर यादव मय हमराह पुलिस बल के कचहरी पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर एसबीआई बैंक के पास खड़े अभियुक्त उपरोक्त को दबिश देकर समय करीब 20.बजे 30 गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पिंटू गुप्ता पुत्र शीतला प्रसाद निवासी सा 29/119 शिवपुर राघव राम वर्मा इंटर कालेज के सामने पुराना डाकखाना थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 दयाशंकर यादव व हे0का0 राकेश राय थाना जैतपुरा, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 30/2020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05-11-0सं0अ0को थाना शिवपुर पंजीकृत मु 2020-29/-धारा 18376/506 भादवि व ¾ लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिसे सम्बन्धित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र शेर 0 अली निवासी हटिया थाना शिवपुर वाराणसी कोमानेटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पाक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012 में 0वर्ष का सश्रम कारावास एवं रु 07-5000/-(पॉच हजार रुपयेके अर्थ (दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दो माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 3/12020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

05 आज दिनांक-11-0सं0अ0को थाना शिवपुर पर पंजीकृत मु 2020- 224/-धारा 183)1 (गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश 0प्र0उ -कुमार प्रजापति पुत्र चुन्नू लाल निवासी एस31/159 हनुमान फाटक थाना आदमपुर वाराणसी ,को मा 0 0गिरोहबन्द अधि 0प्र0उ) न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी द्वारा धारा-3)1गैंगेस्टर एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त राजेश प्रजापित द्वारा जेल बितायी गयी 0प्र0उ (-अवधि02 वर्ष 0दिन के साधारण कारावास व रु 12 माह 06-5000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड की धनराशि अदा न करने पर दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से 10 दण्डित किया जायेगा।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 3/22020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

थाना चेतगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अपराधी लालू यादव उर्फ कृष्णचंद यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने पिता दयाराम यादव के नाम से क्रय की मोटरसाइकिल कीमत रु0-40,000/-की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14)1के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की (गयी।

थाना चेतगंज पर पंजीकृत मु0सं0अ0-284/गिरोह 0प्र0उ 2020बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि से संबंधित अभियुक्त 1986 0लालू यादव उर्फ कृष्णचन्द्र यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी सी 6/ 120बागबरियार सिंह वाराणसी एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। अभियुक्त लालू यादव उर्फ कृष्णचन्द्र यादव द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लेन्डर संख्याः यूपी 65-सीआर 5872-कीमत रु0-40,000/- को क्रय किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक चेतगंज प्रवीन कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिसे 1986 0 संबंधित अभियुक्तलालू यादव उर्फ कृष्णचन्द्र यादव उपरोक्त की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लेन्डर जिसकी कीमत रु0-40,000/- है ,की गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

पुलिस टीम का विवरण–

- प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार, उ0नि0 मुनिशंकर वर्मा, का0 प्रमोद चौहान का0 राहुल यादव, का0 देवानन्द प्रसाद थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 33/2020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

थाना चौक पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस के बिक्री कर रहे अवैध पटाखाविस्फोटक की/ 03 अलगअलग - ,विस्फोटक बरामद/किलोग्राम अवैध पटाखा 1128 दुकानों में छापामार कुल05 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

आगामी त्यौहार दीपावलीछठ त्यौहारो/ॊ को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अवैध विस्फोटक सामाग्री व पटाखो को चोरी छिपे विक्रयसंग्रह की तलाश व छापामारी के/ अभियान के अन्तर्गत थाना चौक के **उसौरभ पाण्डेय 0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के** मुखबिर की सूचना पर **गुदड़ी बाजार शेख भाई राखी सेन्टर की दुकान दालमण्डी में** चोरी छिपे पटाखाविस्फोटक पदार्थ क /ी विक्रय करते हुए 1.आमिर शेख पुत्र मो 0 वर्ष निवासी 27 शेख आरिफ उम्रS 17/ 314D नदेशर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी **2. सैफ पुत्र सिराज अहमद उम्र वर्ष निवासी 28CK 44/6 छत्तातले गोविन्दपुरा थाना चौक जनपद वाराणसी 3. गुलाब साहनी पुत्र छेदी लाल साहनी उम्र वर्ष निवासी 36A10/6A प्रहलाद घाट थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया गया**कार्टून अवैध पटाख 42 **जिनके कब्जे से ,**ेॊ कुल वजन 864 कि 0ग्रा0 बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04-11-को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा आगामी त्यौहारों के 2020 विस्फोट /विस्फोटक सामाग्री की दुकान पर छापामार बिना लाइसेंस के अवैध पटाखों/दालमण्डी में अवैध पटाखों सामाग्री की बिक्री कर उक्त तीनों दुकानदारों को पकड़वाया गया था।

05 उक्त अभियान के क्रम में थाना चौक पुलिस आज दिनांक-11-को अवैध विस्फोटक सामाग्री व 2020 संग्रह की तलाश व छापामारी के दौरान दालमण्डी मोड चिराग अली के दुकान के पास /पटाखो के चोरी छिपे विक्रय विस्फोटक पदार्थ को विक्रय करते हुए /फुटपाथ पर चोरी छिपे पटाखाफिरोज खान पुत्र मन्नान खान उम्र वर्ष 27 निवासी ग्राम दुलहीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गयाजिसके , 25 कार्टून अवैध पटाखा जो कुल वजन 1 बोरी व 02 कब्जे. बरादम हुआ। 0ग्रा0कि 43

05 आज दिनांक -11- को थाना चौक के 2020**उस्वतन्त्र सिंह 0नि0 मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान** मुखबिर की सूचना पर **रहनुमा हैण्डलूम सेन्टर की दुकान दालमण्डी में** चोरी छिपे पटाखा40 कमालुद्दीन अहमद उम्र 0विस्फोटक पदार्थ को विक्रय करते हुए शहाबुद्दीन अहमद पुत्र स्व / वर्ष निवासी CK 69/05 दालमण्डी जनपद वाराणसी ,थाना चौक ,को समय करीब 16:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कब्जे से बोरियो व कार्टूनो में रखे कुल 238. विस्फोटक पदार्थ /अवैध पटाखा 0ग्रा0कि 7बरामद हुआ । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

शेख आरिफ 0आमिर शेख पुत्र मो.1 निवासी S 17/ 314D नदेशर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र वर्ष 27।

2.सैफ पुत्र सिराज अहमद निवासी CK 44/6 छत्तातले गोविन्दपुरा थाना चौक जनपद वाराणसी उम्र वर्ष 28।

3. गुलाब साहनी पुत्र छेदी लाल साहनी निवासी A10/6A प्रहलाद घाट थाना आदमपुर जनपद वाराणसी उम्र वर्ष 36।

4. फिरोज खान पुत्र मन्नान खान निवासी ग्राम दुलहीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र वर्ष। 27
5. शहाबुद्दीन अहमद पुत्र स्व वर्ष निवासी 40 कमालुद्दीन अहमद उम्र 0CK 69/05 दालमण्डीजनपद ,थाना चौक , वाराणसी।

<u>*बरादमगी का विवरण-*</u>

- तीन स्थानों पर छापामार कुल 1128 किलोग्राम अवैध पटाखा/विस्फोटक पदार्थ।

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*</u>

- प्रभारी निरीक्षक चौक आशुतोष तिवारी, उ0नि0 सौरभ पाण्डेय-चौकी प्रभारी दालमण्डी, उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह व उनकी पुलिस टीम।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 3/42020 दिनांक: नवम्बर ,05/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन /आडियों/पम्पलेट/बैनर/) नम्बरों112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 138 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-3023 महिलाओंबालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से / सम्बन्धित1003 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 89 स्थानों पर भ्रमणचेकिंग / करते हुए कुल472 महिलाओंतथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही ,बालिकाओं को जागरुक किया गया/ 0 करते हुए5 के विरुद्ध ,पुलिस एक्ट की कार्यवाही 3414 के विरुद्ध एमवी एक्ट की कार्यवाही,02 के विरूद्ध पुलिस एक्ट व 29078 मनचलों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 35/2020 दिनांक: नवम्बर ,0/52020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 05-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल45 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा * 32व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 967 व्यक्तियों से रु0-28, -/900जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1730 वाहनों का चालान, 0 7वाहनों को सीज तथा 184 वाहनों से रु0-1,53,100/ -समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।